

पत्रांक:—म0वि0स्व0रा0चि0म0बिजनौर/जनरल/2026-27/934

दिनांक:— 30.05.2026

—:कुटेशन सूचना:—

महात्मा विदुर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बिजनौर में अभ्यर्थियों के पठन-पाठन एवं भविष्य में पी0जी0 कोर्स प्रारम्भ होने के दृष्टिगत विभागाध्यक्षों के मांग-पत्र के अनुसार जनरल के क्रय के संबंध में निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन प्रकाशक/ डिस्ट्रीब्यूटर से दरें आमंत्रित की जाती हैं:—

- 1— प्रतिष्ठान का जी0ओ0सी0/ एफ0पी0बी0ए0आई0 में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- 2— प्रतिष्ठान का विगत पांच वित्तीय वर्ष का टर्न ओवर रू0 तीन करोड़ से कम न हो।
- 3— प्रतिष्ठान का विगत पांच वर्षों में मेडिकल कॉलेजों/चिकित्सा संस्थानों में जनरल की आपूर्ति की हो आदेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 4— आपूर्ति कर्ता फर्म द्वारा विगत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष कम से कम रू0 3000000 (रू0 तीस लाख) के जनरल देश के किसी भी राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेज में अवश्य आपूर्ति की गयी हों।
- 5— प्रतिभागी प्रतिष्ठान को प्रदेश सरकार के किसी भी राजकीय संस्थान द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रतिबन्धित न किया हो। इस हेतु प्रतिष्ठान को रू0 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रेषित करना अनिवार्य है।
- 6— चयनित प्रतिष्ठान को आपूर्ति आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर जनरल की आपूर्ति महात्मा विदुर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बिजनौर में करना अनिवार्य होगा।
- 7— जनरल की सूची प्रधानाचार्य, महात्मा विदुर स्वशास राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बिजनौर के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- 8— फर्मदाता का जीएसटी एवं आयकर में पंजीकरण होना अनिवार्य है। इस हेतु प्रतिष्ठान को 10 रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ-पत्र प्रेषित करना अनिवार्य है।

अतः इच्छुक प्रकाशक/ अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त के क्रम में निम्नलिखित प्रारूप पर दरें 07 दिन में प्रत्येक दशा में समस्त आवश्यक प्रपत्रों सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

S.No.	DEPARTMENT	PUBLISHER	TITLE	YEAR	VOLIME	ISSUES	CONV RATE	PUB CUR	PUB PRICE	POSTAGE	PRICE (RS)	DISC (1%)	NET AMT (RS)

प्रधानाचार्य
महात्मा विदुर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
बिजनौर

पृष्ठांकन— म0वि0स्व0रा0चि0म0बिजनौर/जनरल/2026-27/

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2— महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3— जिला अधिकारी, बिजनौर के सूचना पट पर जनरल की सूची सहित चस्पा कराने हेतु।
- 4— वित्त नियंत्रक, महात्मा विदुर स्वशास राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बिजनौर।
- 5— निदेशक, सूचना बिजनौर को इस अनुरोध के साथ कि आप उपरोक्त कुटेशन सूचना सूची सहित किन्ही तीन राष्ट्रीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 6— प्रभारी अधिकारी, पुस्तकालय, महात्मा विदुर स्वशास राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बिजनौर।
- 7— अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर जनरल की सूची सहित चस्पा कराने हेतु/चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाईट पर प्रकाशित कराने हेतु।

प्रधानाचार्य
महात्मा विदुर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
बिजनौर